न्यायालय सहायक कलक्टर, सांभर लेक

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश कुमार गूंड आर0ए0एस0
प्रार्थना पत्र सं0 67/18
निर्णय दिनांक:

1. भंवरीदेवी पत्नि नारायणलाल
2. कमलेश पुत्र लक्ष्मणराम
3. रामेश्वर पुत्र लक्ष्मणराम
4. भोलूरा पुत्र गुल्लाराम
   समस्त जाति जाट नि0 सालगरामपुरा तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0

प्रार्थीगण

बनाम

1. मंगलाराम तेतरवाल पुत्र हुक्माराम
2. श्रवण पुत्र मंगलाराम
3. कानाराम पुत्र मंगलाराम
4. मोहरीदेवी पत्नि मंगलाराम
5. विमलादेवी पत्नि श्रवण
6. लक्ष्मीदेवी पत्नि कानाराम
   समस्त जाति जाट नि0 सालगरामपुरा तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0
7. तहसीलदार तहसील कि0रेनवाल जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि आराजी खं0नं0 39 रकबा 5 विस्वा, खं0नं0 41/3 रकबा 4 बीघा 6 विस्वा, खं0नं0 9/1 रकबा 1 बीघा 6 विस्वा वाकै ग्राम सालगरामपुरा प0ह0 रामजीपुराकला भू0अ0नि0क्षे0 मुण्डियागढ़ तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0 में स्थित है। जो प्रार्थीगण के संयुक्त कब्जें काश्त व खातेदारी की आराजीयात है जिसको प्रार्थीगण उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। अप्रार्थी सं0 1 प्रार्थीगण के दक्षिण दिशा के खातेदार है एवं अप्रार्थी सं0 2 लगा0 6 प्रार्थीगण के हिस्सें की आराजीयात खं0नं0 39 रकबा 5 विस्वा, खं0नं0 41/3 रकबा 4 बीघा 6 विस्वा, खं0नं0 9/1 रकबा 1 बीघा 6 विस्वा वाकै ग्राम सालगरामपुरा प0ह0 रामजीपुराकला भू0अ0नि0क्षे0 मुण्डियागढ़ तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0 पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने की नियत से आयेदिन झगड़ा फिसाद करते रहते है एवं प्रार्थीगण के हिस्सें की भूमि को अपनी भूमि में दबाकर पत्थरगढ़ी करने की चेष्टा करते है एवं पूर्व में भी प्रार्थी की भूमि के कुछ हिस्सें को अपने हिस्सें मे ले रखा है अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात पर दिनांक 05.12.18 को अनाधिकृत रूप से प्रार्थीगण की भूमि को अपने हिस्सें व खातेदारी की भूमि बताकर अतिक्रमण करने की चेष्टा की प्रार्थीगण ने ऐसा करने से मना किया तो नहीं माने एवं झगड़ा फिसाद करने लगे जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट भी प्रार्थी ने पुलिस थाना रेनवाल में दर्ज करवायी जिस पर कोई किसी प्रकार से कार्यवाही नहीं की गयी एवं प्रार्थीगण को न्यायालय से स्थगन लाने को कहा जिस पर अप्रार्थीगण के हौसले ओर बुलन्द हो गये ओर उन्होनें दिनांक 08.12.18 को प्रार्थीगण की खातेदासी की भूमि पर अनाधिकृत रूप से पत्थरगढ़ी करने व तारबन्दी करने की नियत से प्रार्थीगण की खातेदारी की सीमा पर पट्टिया कातले मंगवाकर गाढ़ने लगे जिस पर प्रार्थीगण ने उक्त आराजीयात को अपनी आराजीयात बताकर ऐसा करने से मना किया तो अप्रार्थीगण नहीं माने तो प्रार्थीगण को धमकी दी कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हमारी राजनीति में ऊँची पहुँच है कहते हुये प्रार्थीगण के साथ लड़ाई झगड़ा करने लग गये इसलिए प्रार्थीगण को अपने अधिकारों की रक्षार्थ यह वाद बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत करना हाजिम हुआ।

उक्त प्रार्थना पेश होने पर प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीगण को उक्त प्रा0पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर एक पक्षीय सुना जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया कि विवादित आराजीयात में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलंदाजी न करें, न किसी अन्य से करावें तथा मौके व राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति कायम रखी जावे। जिस पर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

20/2/19

सहायक कलक्टर
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

भंवरीदेवी वगै0 बनाम मंगलाराम
प्रार्थना पत्र सं0 67/18

अप्रार्थी सं0 1 लगा0 6 की ओर से वकील श्री नरेन्द्र शर्मा उपस्थित हुए तथा अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया जिसमें सभी मदों को अस्वीकार करते हुए अपने अतिरिक्त कथन में कथन किया कि प्रार्थीगण की आराजी खं0नं0 39 रकबा 5 विस्वा, खं0नं0 41/3 रकबा 4 बीघा 6 विस्वा, खं0नं0 9/1 रकबा 1 बीघा 6 विस्वा वाकै ग्राम सालगरामपुरा तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0 में स्थित है जिसके दक्षिण दिशा में अप्रार्थीगण की आराजीयात खं0नं0 35, 36, 38 स्थित है अप्रार्थीगण ने अपनी आराजीयात की सीमा में अरसा करीब पन्द्रह वर्षो से पोल सहित तार बाउण्डरी कर रखी है ओर अपनी सीमा में काबिज है। अप्रार्थीगण ने अपनी आराजीयात में उनहालू फसल बो रखी है जिसे जानवर नील गाय खड़ी फसल में घुसकर नुकसान करती है उससे बचने के लिए अप्रार्थीगण अपनी सीमा में लगाई हुई तार बाउन्डरी के लोहे की जाली लगाकर फसल को सुरक्षित करना चाहते है किन्तु प्रार्थीगण इसमें व्यवधान करते है जबकि अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को स्वय की आराजीयात खं0नं0 39 रकबा 5 विस्वा, खं0नं0 41/3 रकबा 4 बीघा 6 विस्वा, खं0नं0 9/1 रकबा 1 बीघा 6 विस्वा वाकै ग्राम सालगरामपुरा तह0 कि0रेनवाल की सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढ़ी कराने हेतु कह रखा है ओर स्पष्ट तौर पर विश्वास दिला रखा है कि अगर सीमाज्ञान में आपकी जमीन दबी हो तो स्वेच्छा से छोड़ने को तैयार है किन्तु प्रार्थीगण महज अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की गरज से मिथ्या आधारों पर यह वाद पेश कर अप्रार्थीगण की आराजीयात पर जबरन कब्जा करना चाहते है अगर अप्रार्थीगण को पाबन्द किया गया तो उसकी आड़ में प्रार्थीगण मिन अप्रार्थीगण की आराजीयात में जबरन कब्जा करने की चेष्टा करेगें जिससे मिन अप्रार्थीगण को अपूर्ति क्षति होगी वाद सरसरी तौर पर खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी सं0 2 व 3 बाहर पढ़ाई करते है व अप्रार्थीगण सं0 5 व 6 अप्रार्थी सं0 1 की पुत्र वधु है जो अभी ससुराल आना शुरू ही नहीं हुआ इस प्रकार प्रार्थीगण ने उन्हें बिना वजह महज हैरान व परेशान करने की गरज से पक्षकार कायम किया है जो वाद कारण अंकित किया है उस दिन उक्त अप्रार्थीगण सं0 2, 3, 5, 6 मौजूद ही नहीं थे। अप्रार्थी सं0 1 अपनी खातेदारी की आराजीयात में बरसों से पोल गाड़कर तारवन्दी कर रखी है जो अप्रार्थी सं0 1 की खातेदारी की सीमा में है अगर अप्रार्थीगण को पाबन्द किया गया तो पाबन्दी की आड़ में प्रार्थीगण मिन अप्रार्थी सं0 1 की खातेदारी की आराजी में लगे पोल तार बाउण्डरी कातले आदि उखाड़कर नुकसान कारित करेगे जिससे फसल जानवर नष्ट कर देगे व अपूर्ति क्षति होगी। प्रार्थीगण ने यह वाद महज अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि पर नाजायज तौर पर कब्जा करने की नियत से यह दावा झूठें तथ्यों पर बदनियति से पेश किया है व अप्रार्थीगण को नाजायज दबाव बनाने व खर्चे से जेरबार करने की नियत से पेश किया है प्रार्थीगण क्लीन हैंड से अदालत के समक्ष नहीं आये है अतः प्रार्थी का वाद व दरख्वास्त अस्थायी निषेधाज्ञा मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादी सं0 1 की ओर से एक शपथ पत्र पेश किया जिसमें अंकित किया कि हमारी आराजी खं0नं0 35, 36, 38 वाकै ग्राम सालगरामपुरा तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0 मे स्थित है जिसकी सीमा पर 15 वर्षो से पोल सहित तार बाउण्डरी कर रखी है तथा हम हमारी सीमा में काबिज है उक्त आराजीयात में वर्तमान में गेंहू की फसल बो रखी है उक्त फसल की सुरक्षार्थ के लिए मैं उत्तरी सीमा जहा पर तारबन्दी व बाउण्डरी कर रखी है उसी जगह लोहे की जाली से अपनी सीमा को महदूद करना चाहता हूँ ओर वहीं पर मैं जाली लगाउंगा। प्रार्थीगण यदि अपनी आराजी खं0नं0 39, 41/3, 9/1 का यदि सीमाज्ञान करवाना चाहते है तो मेरी बोई हुयी फसल कटने के पश्चात् मैं सीमाज्ञान करवाने के लिए तैयार एंव तत्पर हूँ उसमें मेरी पूर्ण सहमति है। मैं उसमें किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं करूंगा ओर मैं उसमें पूर्ण सहयोग करूंगा व सीमाज्ञान होने पर हम अप्रार्थीगण की भूमि में वादीगण की भूमि निकलती है तो मैं अपनी जाली व कातलें हटा लूंगा व वादीगण की भूमि देने में पूर्ण सहयोग करूंगा।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि आराजी खं0नं0 39 रकबा 5 विस्वा, खं0नं0 41/3 रकबा 4 बीघा 6 विस्वा, खं0नं0 9/1 रकबा 1 बीघा 6 विस्वा वाकै ग्राम सालगरामपुरा प0ह0 रामजीपुराकला भू0अ0नि0क्षे0 मुण्डियागढ़ तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0 में स्थित है, जो प्रार्थीगण के संयुक्त कब्जें काश्त व खातेदारी की आराजीयात है जिसको प्रार्थीगण उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। अप्रार्थी सं0 1 प्रार्थीगण के दक्षिण दिशा के खातेदार है एवं अप्रार्थी सं0 2 लगा0 6 प्रार्थीगण के हिस्सें की आराजीयात खं0नं0 39, 41/3, 9/1 पर अनधिकृत रूप से कब्जा करने की नीयत से आये दिन झगड़ा फ़साद

सहायक कलेक्टर
साँभर लेक

Scanned by CamScanner

करते रहते हैं एवं प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि को अपनी भूमि में दबाकर पत्थरगढ़ी करने की चेष्टा करते है एवं पूर्व में भी प्रार्थी की भूमि के कुछ हिस्से को अपने हिस्से मे ले रखा है तथा वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण की आराजीयात के दक्षिण दिशा में अप्रार्थीगण की आराजीयात खं0नं0 35, 36, 38 स्थित है अप्रार्थीगण ने अपनी आराजीयात की सीमा में अरसा करीब पन्द्रह वर्षो से पोल सहित तार बाउण्डरी कर रखी है ओर अपनी सीमा में काबिज है। अप्रार्थीगण ने अपनी आराजीयात में उनहालू फसल बो रखी है जिसे जानवर नील गाय खड़ी फसल में घुसकर नुकसान करती है। उससे बचने के लिए अप्रार्थीगण अपनी सीमा में लगायी हुई तार बाउण्डरी के लोहे की जाली लगाकर फसल को सुरक्षित करना चाहते हैं, किन्तु प्रार्थीगण इसमें व्यवधान करते हैं जबकि अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को स्वयं की आराजीयात ख0नं0 39 रकबा 5 विस्वा, खं0नं0 41/3 रकबा 4 बीघा 6 विस्वा, खं0नं0 9/1 रकबा 1 बीघा 6 विस्वा वाकै ग्राम सालगरामपुरा तह0 कि0रेनवाल की सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढ़ी कराने हेतु कह रखा है ओर स्पष्ट तौर पर विश्वास दिला रखा है कि अगर सीमाज्ञान में आपकी जमीन दबी हो तो स्वेच्छा से छोड़ने को तैयार हैं किन्तु प्रार्थीगण महज अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की गरज से मिथ्या आधारों पर यह वाद पेश कर अप्रार्थीगण की आराजीयात पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। अगर अप्रार्थीगण को पावन्द किया गया तो उसकी आड़ में प्रार्थीगण मिन अप्रार्थीगण की आराजीयात में जबरन कब्जा करने की चेष्टा करेंगे जिससे मिन अप्रार्थीगण को अपूर्तीय क्षति होगी, इसलिए वाद सरसरी तौर पर खारिज किये जाने योग्य है।

उभय पक्षों की बहस, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी मंगलाराम द्वारा पेश शपथ पत्र का भी अवलोकन किया गया अवलोकन करने के पश्चात् उक्त प्रा0पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर उभयपक्षों को एक–दूसरे की खातेदारी भूमि में हस्तक्षेप/मजाहमत नहीं करने एवं एक–दूसरे को बेदखल न किये जाने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा से पावंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की आराजी खं0नं0 39 रकबा 5 विस्वा, खं0नं0 41/3 रकबा 4 बीघा 6 विस्वा, खं0नं0 9/1 रकबा 1 बीघा 6 विस्वा व अप्रार्थीगण की आराजी 35, 36, 38 वाकै ग्राम सालगरामपुरा प0ह0 रामजीपुराकला भू0अ0नि0क्षे0 मुण्डियागढ़ तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0 में उभयपक्ष पक्षकारान को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाकर निर्देश दिया जाता है कि यद्यपि उभयपक्ष अपनी अपनी खातेदारी भूमि का नियमानुसार विधिसंगत तरीकें से सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी/तारबन्दी करवाने हेतु स्वतंत्र हैं, तथापि उभय पक्ष एक–दूसरे की खातेदारी भूमि में हस्तक्षेप/मजाहमत नहीं करेंगे व एक दूसरे को बेदखल नहीं करेंगे। दोनों पक्ष अपनी–अपनी खातेदारी भूमि में कार्य करने हेतु स्वतंत्र रहेंगे।

अतः आज दिनांक 20/2/2019 को मेरे हस्ताक्षर व मुद्रा से जारी किया गया।

20/2/19

सहायक कलक्टर
सांभर लेक

सहायक कलक्टर
सांभर लेक

Scanned by CamScanner